न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मोकुराम बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 136 LR ACT मु०नं० 32/2004	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12.12.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32 / 2004	2004 / 00109	01.11.2004	12.12.2022

उनवान प्रकरण

मोतुराम पुत्र गणेश जाट आयु 55 साल निवासी ढ़ाणी खोखरावाली वार्ड नं. 4 नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

——अप्रार्थी

उपस्थितः–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने [illegible] रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा तन श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके बीच में से [illegible] रोड से अजीतगढ़ रोड गया हुआ है और इसी में से पश्चिमी तरफ का रोड [illegible] गया हुआ है। इसके नये नम्बर उत्तरी की तरफ 2564 रकबा 1.00 हैक्टर दर्ज किया गया है और इसके सामने पश्चिमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

तरफ पुराना खसरा नम्बर 978/2 है, जो पी.डब्लू.डी. की खातेदारी में दर्ज है। नये सैटिलमेन्ट में खसरा नम्बर 2564 के पश्चिमी में खसरा नम्बर 2563, 2566 दिखाया गया है। जो वास्तविक रूप से भूमि खसरा नम्बर पुराने 978/2 रोड का भाग है और इसे गलत रूप से खसरा मिलान क्षेत्रफल में 979/1 का मिन नम्बर दर्ज किया है। जबकि वास्तव में यह ख0 न0 978/2 का मिन नम्बर है। इसलिए मिलान क्षेत्रफल को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी व प्रार्थी की बहिन गंगा व भाई रूडाराम दर्ज है और अकेले प्रार्थी के हिस्से में आया हुआ है। इसलिए इसे दुरूस्त किया जाना जरूरी है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुयी है, इसलिए अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत दुरूस्तनीय होने से उक्तानुसार मिलान क्षेत्रफल में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 373/भू.अ./091 दिनांक 02.02.09 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि :-

पटवार हल्का/ई.भू.अ.नि. श्रीमाधोपुर से दिनांक 18.09.2004 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मिलान क्षेत्रफल से ख0 न0 2563 व 2566 पुराने खसरा नम्बर 979/1 में से बने हुए दर्शाये गये है। सीट पुरानी व नई सीट का मिलान करने से यह नंबर पी.डब्ल्यू.डी के नाम से दर्ज पुराने खसरा नम्बर 978/2 से बनना पाया जाता है।

उक्त पटवारी रिपोर्ट का परीक्षण करने हेतु रिकार्ड का अवलोकन अध्ययन किया। पुराना नक्शा 1 सी[illegible] नहीं है। आवेदक श्री मोठुराम द्वारा उक्त पुरानी सी[illegible] करवाई गई। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर [illegible]। वर्तमान ख0न0 2563 व 2566 गत खसरा नम्बर 979/1 से नही बनकर 978/2 से ही बने है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2480/भू.अ./07 दिनांक 04.08.2007 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी उक्त प्रकरण नियम 136 एल.आर.एक्ट के तहत दुरूस्ती का नहीं है। नियम 136 के तहत केवल लिपिकीय भूल की ही दुरूस्ती होती है। उक्त प्रकरण में दुरूस्ती दावें से ही सम्भव होने बाबत कथन तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव प्रकरण के बहस में नियत होने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 979/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा तन श्रीमाधोपुर में स्थित होकर उसके बीच में से होकर मउ से अजीतगढ़ रोड बना होने और इसी में से पश्चिमी तरफ का रोड भी बना हुआ होने तथा इसके नये नम्बर उत्तरी की तरफ 2564 रकबा 1.00 हैक्टर दर्ज किया जाना तथा इसके सामने पश्चिमी तरफ पुराना खसरा नम्बर 978/2 की खातेदारी पी.डब्लू.डी. के नाम दर्ज है। नये सैटिलमेन्ट में खसरा नम्बर 2564 के पश्चिमी में खसरा नम्बर 2563, 2566 दिखाया गया है। जो वास्तविक रूप से भूमि खसरा नम्बर पुराने 978/2 रोड का भाग है और इसे गलत रूप से खसरा मिलान क्षेत्रफल में 979/1 का मिन नम्बर दर्ज किया है। जबकि वास्तव में यह ख0 न0 978/2 का मिन नम्बर है। इसलिए मिलान क्षैत्रफल को दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. आर0आर0टी0 2018 (1) पेज नं
2. आर0आर0टी0 2015 (1) पेज नं 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

3. आरएआरटी0 2018 (2) पेज न. 1158

4. आरएआरटी0 2002 (2) पेज न. 783

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, नजरी नक्शा नबीन व पुराना, नक्शा सर्वे सीट नकल, नकल मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053, 2054 से 2057, रिपोर्ट भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2480 दिनांक 04.08.2007 एंव पुनः पत्रांक 373 दिनांक 02.02.2009 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि नवीन भूमि खसरा नम्बर 2563, 2564, 2565 मिन, 2566, 2567 पुराने खसरा नम्बर 979/1 से बनना पाया जाना प्रतित होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा उन खसरा नम्बरान् के खातेदारान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण उन पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जा सका तथा किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई अभिशंषा रिपोर्ट अनुसार भी उक्त प्रकरण को नियम 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरूस्तनीय का नहीं मानकर प्रकरण में दुरूस्ती दावें से ही सम्भव होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियॉं धारा 136 के अन्तर्गत परिवर्तित की जा सकती है अर्थात अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत केवल मात्र लिपिकिय भूल को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

19/12/22

रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की श्रेणी में नहीं पाये जाने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/12/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested